राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2160/2014/अलवर.

मैसर्स आर्यन महिन्द्रा, बहरोड़, अलवर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर अलवर.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, शाहजहांपुर, अलवर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राहुल गुप्ता, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24/02/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'प्रशासनिक अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.02.2013 में पारित किये गये आदेश क्रमांक 158/2014/उपा.अल./कर/वैट दिनांक 07.07.2014 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, वृत–शाहजंहापुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2009–10 का कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु जारी किये गये नोटिस दिनांक 18.11.2011 सुनवाई दिनांक 29.11.2011 की पालना में अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वेट अधिनियम की धारा 24(2) के तहत एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.01.2012 पारित करते हुए रूपये 4,08,362/– की मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश को खोलकर पुनः कर निर्धारण की स्वीकृति हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत दिनांक 07.02.2013 को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र, प्रशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 07.07.2014 से इस आधार पर निरस्त किया गया कि बावजूद सूचना अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत है। प्रशासनिक अधिकारी के उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि आलौच्य अवधि के कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई सम्मन अपीलार्थी पर तामील नहीं कराया गया एवं नोटिस तामील करवाये बिना ही अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध मांग सृजित की गयी है। अतः पारित किया गया एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित हैं। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी का प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने में भी विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **40 टैक्स अपडेट 1 मुद्रा मार्बल एण्ड ग्रेनाईट, उदयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड—प्रथम, वृत—ब, उदयपुर** का हवाला देते हुए अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. बहस के दौरान विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व प्रशासनिक अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2009—10 के कर निर्धारण करने के लिये एकमात्र नोटिस दिनांक 18.11.2011 सुनवाई दिनांक 29.11.2011 के लिये जारी किया गया है, जो रजिस्टर्ड डाक से भेजना बताया गया है। किन्तु उक्त नोटिस किसे तामील करवाया गया है, इस सम्बन्ध में पत्रावली से कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया अपीलार्थी पर नोटिस की तामीली नहीं मानी जा सकती। जिस व्यक्ति द्वारा नोटिस प्राप्त किया गया है, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर कर निर्धारण अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी व कर बोर्ड की पत्रावलियों में अन्यत्र कहीं नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी पर नोटिस तामील होना नहीं पाया जाता है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त विपरीत पारित किया जाना प्रतीत होता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि नोटिस तामीली के अभाव में पारित आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

लगातार.....3

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रशासनिक अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2014 एवं कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 10.01.2012 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, इस आदेश प्राप्ति के 60 दिवस में नियमानुसार पुनः आदेश पारित करें।

9. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी
24.02.2016
(मनोहर पुरी)
सदस्य